

एक नजर में

प्रतिबंधित अवधि में मत्स्य विक्रय करने वाले के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

खंडवा । कलेक्टर खण्डवा के द्वारा 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन तथा मत्स्य विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में फिश मार्केट खण्डवा में अवैध रूप से विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर शुक्रवार को सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा के मार्गदर्शन में मत्स्य विभाग से मनोज कवडे, सहायक मत्स्य अधिकारी,अभिषेक सोनी सहायक मत्स्य अधिकारी खण्डवा एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि कार्यवाही के दौरान भीमसिंह पिता प्रहलाद फूलमाली निवासी खण्डवा के कब्जे से जब क्रिये गये 6 बॉक्स में कुल 300 किलोग्राम प्रतिबंधित मागुर मछली जब्त की गई। इसके अलावा 4 बॉक्स में कुल 160 किलोग्राम लोकल माइनर तिलापिया मछली भी जब्त कर मछली के स्टॉक को कुल 3360 रूपए नीलाम किया गया और प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा की गई। उन्होंने बताया कि मागुर मछली प्रतिबंधित होने से उसके स्टॉक का विनिर्दीकरण किया गया। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि संबंधित आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

समितियों के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

खंडवा । मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी एम.बी. ओझा ने हरसूद,छनेरा की श्री दादाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित तथा जयहति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित खंडवा के संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए उत अकेक्षक खंडवा अनिल कनौजिया को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा गुरुदत्त बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित ग्राम कुमदा के संचालक मंडल के सदस्यों,पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए सहकारिता निरीक्षक पिंदू रावत को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

किसान भाई 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा जरूर करा लें

खंडवा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अन्नूपी व ऋणी कुषकों के लिए बीमा करने के अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उप संचालक, कृषि नीतिश यादव ने बताया कि अन्नूपी व ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक के डिफाल्टर व कालातीत किसान अपनी खरीफ फसल जैसे सोयाबीन, कपास, मक्का, अधिसूचित फसलों का बीमा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। उप संचालक, कृषि नीतिश यादव ने बताया कि ऋणी अन्नूपी डिफाल्टर कालातीत सभी कुषक अपनी फसल का बीमा सम्बंधित बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवश्क दस्तावेजों जैसे कि बैंक की पासबुक, आधारकार्ड, भू अधिकार ऋण पुस्तिका, बुआई प्रमाण पत्र, पूर्ण भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म एवं आवश्यक प्रीमियम राशि के साथ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोयाबीन फसत के लिए 887 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 693 रूपये, कपास के लिए 2758 रूपये एवं अंसिंचित भान हेतु 630 रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रीमियम जमा कराना होगा। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 30 जुलाई को
खण्डवा । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हर माह समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से करके उनका निराकरण करते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 30 जुलाई को आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे।। साथ ही सी. एम. हेल्थलाइन के लंबित प्रकरणों, लोक सेवा ग्राहटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं एवं समाधान एक दिवस के विषयों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ऋचव गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इस बार गृह विभाग अंतर्गत अपराधों की विवेचना में विव्क व लापरवाही करने, समय से प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने जैसे मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश असंगठित शहरी व ग्रामीण कस्का करण्ण मण्डल संबल योजना के प्रकरणों, राजस्व विभाग के भूमि के सीमांकन संबंधी मामलों,विद्युत बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रकरणों, मंडिकर कॉलेजों में प्रसूति सहायता योजना के तहत न्यूनतम राशि न मिलने संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव सरपंच, सचिव व रोगीगार सहायकों द्वारा योजनाओं का लाभ दिये जाने के लिए अनुचित राशि की मांग संबंधी शिकायतों तथा शिथ्यवृति व छात्रवृति संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगे।

समाप्ति पर 25 को होगा विशाल आम भंडारा


खंडवा। सिंधी कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल एवं श्री झूलेलाल समर्थ पैनल के संयुक्त तत्वावधान में मनाये जा रहे पूज्य चालिहा पर्व के दौरान समाज के महंत बाबा स्वरूपदास उदारसीनी की उपस्थिति में पर्व की महाआरती की गयी। कठिन उपवासों की पूर्णाहुति पश्चात 25 अगस्त को विशाल आम भंडारा होगा। यह जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष मोहन दीवान एवं प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में बड़े संख्या में समाज की माता, बहनों, बच्चों एवं पुरुषों उपस्थिति में महंत बाबा स्वरूपदास जी उदारसीन द्वारा श्रद्धा पूर्वक अस्त्रछा जला देवता का पूजन किया जा कर विश्व में हरियाली खुशहाली की कामना के साथ अरदाक लगाई। वहीं पर्व की महाआरती आयोजित हुई। इस अवसर पर जलगांव वारे साहब का मदाह साहिब का समूहिक पाठ एवं भगवान श्री झूलेलाल जी के 108 नामों का संगीतमय वादन हुआ।महाआरती के दौरान मंदिरों क्षेत्र आयोलाल झुलेलाल के गगनचुम्बी जयकारों से गुंजायमान हुआ। पैनल अध्यक्ष प्रद्वर्ण कोटवानी एवं सचिव रजत मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थितजन जम कर झूमें। श्री झूलेलाल समर्थ पैनल के सभी सदस्यों के तन मन धन के सहयोग से प्राप्त हो रहा है।वही 24 अगस्त को पूज्य चालिहा महापर्व की पूर्णाहुति के अवसर बहरणा साहब की विशाल शोभायात्रा सिंधी कालोनी एवं टेंगौर कालोनी के विभिन्न मार्गों से निकाली जाएगी। कठिन उपवासों की पूर्णाहुति पश्चात 25 अगस्त को महापर्व का विशाल आम भंडारा होगा। इस मौके पर मोहन दीवान, मनोहर सबनानी, अशोक मंगवानी, रवि गिदवानी, मनोहर संचवानी, द्वाकरकांसदा मोहननी, संजय सबनानी, कुन्दन चेतवानी, निर्मल मंगवानी, जयपाल लालवानी, राम वासवानी, महेश चंदवानी, राजेश वाधवा, किशोर, विजय मंगवानी, रजत मंगवानी, नरेश किशोर, हारवानी, मनोज गेलानी, कमलेश हिरानी, आशीष राजानी, मधुर जेठवानी आदि सहित श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल, श्री झूलेलाल समर्थ पैनल के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यगण मौजूद थे।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 28 वाहन चालकों के विरुद्ध हुई कार्रवाई
खंडवा । जिला खंडवा में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीरा सवारी, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाने वत्था अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 28 वाहन चालकों के विरुद्ध एम .डी. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं समन शुल्क 15300/-रूपए वसूल किए गए हैं। उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

सावन की रवानगी जल्द,एक चौथाई बारिश अब तक हुई

इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध बरगी से आने वाले 'उधार' के पानी पर इतरा रहे

नवभारत न्यूज
खंडवा। देश के 80 प्रतिशत क्षेत्र में मानसून कहर बरपा रहा है। इसके बावजूद निमाड़ में मौसम सूखा नजर आ रहा है।**खंडवा जिले में तो औसत की एक चौथाई बारिश ही दर्ज हुई है। फसलें प्यासी नजर आ रही हैं। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध एक बार भी ओवरफ्लो नहीं हुए। बरगी और जबलपुर की तरफ से आए "उधार" के पानी से ही बिजली बन रही है। ऐसे हालात 25 साल में पहली बार देखने को मिले हैं।**

आंकड़ों की बात करें तो जिले की औसत वर्षा 808 मि.मी. अभी तक हुई है। कुल 232.4 मि.मी. वर्षा ही आज तक दर्ज

देर शाम ओंकारेश्वर में बारिश

ओंकारेश्वर। लंबे इंतजार के बाद ओंकारेश्वर में शुक्रवार शाम को आधा घंटा जोरदार बारिश हुई। मौसम में ठंडक आ गई। जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मजेदार बात यह रही कि 3 किलोमीटर दूर कोठी में पानी नहीं गिरा। दर्शनार्थी जो जहां खड़ा था , सुरक्षित जगह देखकर पानी से बचने के लिए खड़ा रह गया। मौसम को यह पहली बरसात थी।

की गई है।
808 मिलीमीटर है औसत वर्षा

अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि खंडवा जिले की औसत वर्षा 808 मिली मीटर है। इस वर्ष जिले में आज तक जिले में मात्र 232.4 मिली मीटर औसत वर्षा ही दर्ज हुई है। जबकि गत वर्ष 25 जुलाई तक जिले में 354.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।

तहसीलवार देखें स्थिति

इस वर्ष 1 जून से अब तक खंडवा तहसील में 242 मिली मीटर, हरसूद तहसील में 233 मिली मीटर, पन्थाना तहसील में 162 मिली मीटर, पुनासा तहसील में 207 मिली मीटर तथा खालवा

तहसील में 318 मिली मीटर वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है।

सावन भी सूखा बीत रहा

हालत यही रहे तो खरीफ की फसल पर भी असर पड़ेगा। रबी फसल के लिए जमीन के अंदर पानी स्टोर कम ही हो पाएगा। ऐसे में किसान तीसरी फसल मूंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल बरसात की फसल पूरी तरह से अच्छी नहीं हो पाई है।

इंदिरा सागर का जलस्तर कई मीटर नीचे

इस मौसम में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध कई मीटर तक खाली पड़े हुए हैं, जबकि ओवरफ्लो होने के कारण उनके गेट भी खोले जाते थे। यही स्थिति रहने के कारण गुजरात में भी पानी का संकट नर्मदा के बांधों पर देखने को मिल रहा है।

हालांकि अभी तक बिजली कारखाने को किसी तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन इसके बांधों की स्टोरेज क्षमता कम होने के कारण भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

नवभारत न्यूज
खंडवा । प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे प्रदेश भारत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत गौरीकुंज सभागांर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम खंडवा एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जिले में नशे की लत के विरुद्ध सामाजिक चेतना जागृत करना और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत 15 जुलाई से प्रारंभ किए गए नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शॉर्ट फिल्मस और रील्स के प्रदर्शन से हुई। इन फिल्मों ने नशे के दुष्प्रभाव और उससे बचने के उपायों को रोचक एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन संदीप जोशी द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत कर दीप प्रज्वलन की रस्म अदा की

गई।मां भारती औरमां सरस्वतीकी छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की आध्यात्मिक शुरुआत की गई।



एसपी मेहन्र तारनेकर ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया एवं अब तक चलाए गए अभियान की रूपरेखा, प्रमुख उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। इसके पश्चात ऋमशः पुलिस अधीक्षक मनोज राय, विधायक कंचन तंवे, महापौर अमृता अमर यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल तोमर द्वारा अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए गए। सभी वक्ताओं ने नशे के सामाजिक, मानसिक एवं पारिवारिक दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला एवं युवाओं को

इससे बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. संजय इंगले एवं डॉ. प्रेरणा अग्रवाल ने नशा छोड़ने

निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। कार्यक्रम के प्रारंभ में एक विशेष हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने हस्ताक्षर कर यह संकल्प लिया कि वे स्वयं भी नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयुक्त प्रियंका राजावत द्वारा सभी उपस्थितजनों को नशा मुक्त समाज की दिशा में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। सभी ने सामूहिक रूप से यह प्रण लिया कि वे स्वयं, अपने परिवार और समाज को नशे से मुक्त रखने का सतत प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम में महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तंवे, पुलिस अधीक्षक मनोज राय, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल तोमर, निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, एमआईसी सदस्य, आयुक्त प्रियंका राजावत, उपायुक्त एस. आर. सिटोले सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पाषर्दगण पुलिस अधिकारी, निगम अधिकारी, एनसीसी के डेडेट्स, विद्यार्थी, चिकित्सक, एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

लियो व लायन्स क्लब खण्डवा ने विभिन्न स्थानों पर किया पौधरोपण

नवभारत न्यूज
खण्डवा। लायंस क्लब खंडवा व लियो क्लब खंडवा द्वारा लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जी वन के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अनिल खंडेलवाल के जन्मदिन को सेवा व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। नारायण बाहेती ने बताया कि लायन्स के अध्यक्ष आशा उपाध्याय, आसन्नपूर्व अध्यक्ष अणिमा

उबेजा,उपाध्यक्ष घनश्याम वाधवा, सचिव औमप्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पवन लाड़, पर्यावरण जागरूकता चेयरमैन लायन अखिलेश गुप्ता, रीजन चेयरपर्सन राजीव मालवीय,कार्यक्रम संयोजक प्रमोदपुरी ,लियो अध्यक्ष सुमिर्न परिहार, सचिव अभिषु शर्मा,कोषाध्यक्ष केतन वर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण चेयरमैन अखिलेश गुप्ता के सहयोग से एंजल प्लेनेट स्कूल व सी वी रमन यूनिवर्सिटी

में 51-51 छायादार व फलदार पौधों का रोपण किया गया। दोपहर में लायन्स भोजन सेवा केंद्र पर मरीजो व परिजनों को भोजन कराया गया।

लायन्स क्लब खण्डवा एवं लियो क्लब खण्डवा द्वारा पौधरोपण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर सतत रूप जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लायन शकुन्तला नागोत्रा, सुनील जैन,उमाशंकर

उपाध्याय, नानकराम बजाज, राजकुमारी दूधे, लियो अर्पित बाहेती, पवन जायसवाल, नितीन राठौड़, अक्षय भंडारी, रूपाली सोलंकी, प्रिया कालरे, पूजा अग्रवाल, नीलम बजाज, अपूर्व उपाध्याय एवं लायन व लियो साथियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

कार्यक्रम का संचालन नारायण बाहेती एवं आभार सचिव ओम प्रकाश अग्रवाल ने व्यक्त किया।

खुलासा
सैकड़ों पिस्टल ऑर्डर के बाद असंबल कर देने की सामग्री भी पकड़ी

बोलेरो में अवैध पिस्टलों का कारखाना,तीन तमंचे सहित चार गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
खंडवा। तीन अवैध पिस्टल सहित भारी मात्रा में पिस्टल बनाने की सामग्री जप्त की गई है। इस सामग्री से भारी मात्रा में मौत का सामान बनाया जा सकता है। देवास जिले के नेमावर क्षेत्र के तीन लोगों को भी पकड़ा है। ये आदतन बदमाश हैं, जो पिस्टल बनाने और बेचने का ही काम करते हैं। सभी पर नेमावर थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं। सभी आरोपियों को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से पुलिस को 2 दिन का रिमांड मिला है। इन से रात भर पूछताछ कर पूरी लिंक पता की जा रही है।

खंडवा के दादाजी कालेज के पास पुलिस ने लंबी घेराबंदी के बाद बोलेरो वाहन पकड़ा जिसमें तीन लोग बैठे थे। पिस्टल बनाने का चार बोरी सामान भी जप्त किया गया है। इस सामान से सैकड़ो पिस्टल बनाकर बेची जाती थी।

गोगांवा से देशभर में बंटती पिस्टलें

यह सामग्री और तीन पिस्टल गोगांवा खरगोन जिले में खल्दाई करने के लिए एं ये लोग जा रहे थे। मुखबिरी हो जाने के कारण खंडवा में ही इन्हें दबोच लिया गया। सवाल यह उठता है कि ये लोग हाथ से निकल जाते, तो सैकड़ों पिस्टल बनकर देश भर में सस्ते दामों में देशभर के दलाल पिस्टल ले जाते हैं। पिस्टली का सामान अलग-अलग रहता है, जिसे असंबल कर लिया जाता है।

देवास का खातेगांव नया ठिकाना

पूरा घटनाक्रम अंतरजिला से संबंधित है। मलब समान देवास जिले में बन रहा था। खंडवा जिले के रास्ते इसे खरगोन जिले में असंबल होने भेजा जा रहा था। यहां से ऑर्डर मिलने पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भारी डिमांडधारी प्रदेशों में भेजा जाता था।

पचोर से इनका अड्डा बंद

पहले यह काम बुरहानपुर के पचोर में होता था, लेकिन भारी दबाव के बाद यहां काम बंद कर दिया गया है। अब देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र को बड़ा अड्डा बना दिया गया है। जहां से बहुत ही सस्ते दामों में देशभर के दलाल पिस्टल ले जाते हैं। पिस्टली का सामान अलग-अलग रहता है, जिसे असंबल कर लिया जाता है।

4 साल में चोंगने दाम हुए

पिस्टल की कीमत पिछले 4 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। इन

पर सरकार ने बड़े टैक्स लगाए हैं। इसीलिए इस तरह के अवैध माल के डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। हर प्रदेश के लोगों की निगाहें मध्यप्रदेश पर रहती हैं। यहां आसानी से सामान मिल जाता है।

स्टीक मुखबिरी से पकड़ाए

थाना पदमनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो नियो गाड़ी पुनासा तरफ से आ रही है। जिसमें एक लड़का पगड़ी बाँधे जिसके सा लड्के और हैं। जो खण्डवा आये हैं, जिनके पास कई पिस्टलें तथा पिस्टल बनाने का सामान है, तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो भाग सकते हैं।

दादाजी कालेज के पास घेरबंदी

टीम द्वारा इन्दौर रोड दादाजी कालेज के पास चेकिंग के दौरान पंचान के समक्ष मुखबिर के बताये अनुसार उक्त कार के आने का इंतजार किया गया। खण्डवा तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन आता दिखाई दिया जिसे फोर्स व गवाहन की मदद से रोका गया।

सब पिस्टलों से लेस थे

गाड़ी से जितेंद्र जोशी पिता दिलीप जोशी उम्र 28 वर्ष निवासी बागदा थाना खातेगांव जिला देवास मिला। उससे एक लोहे की देशी पिस्टल बरामद की गई। इसी प्रकार पिछली सीट पर बैठे थे। विक्रम पिता मानसिंह भाटिया उम्र 27 वर्ष निवासी जैन मंदिर गेट के पास

गया।

खंडवा एसएसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि खण्डवा पुलिस द्वारा अवैध हथियार निर्माताओं के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है। 03 आरोपियों से 03 अवैध पिस्टल सहित भारी मात्रा में पिस्टल बनावे के सामान कुल 647 नग बैरल तथा शटर नली वह अन्य कई छोटे कलपुर्जे व पिस्टलों के

पार्ट्स बनावे वाले लेथ मशीन का कारीगर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है।

नेमावर जिला देवास था। उसके पास से भी एक लोहे की देशी पिस्टल तथा नगदी 8900 रूपये मिले। गाड़ी में बैठे तीनों युवक रवि पिता सालकराम मण्डरई उम्र 21 वर्ष निवासी वागदा थाना खातेगांव जिला देवास से भी एक देशी पिस्टल मिली।

बिना नंबर की बी बोलेरो

उक्त तीनों आरोपियों की बिना नम्बर की बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर पीछे की तरफ 04 बोरियों में पिस्टल बनाने का सामान जिसमें भारी मात्रा में बैरल व चौकोर शटर मिले। जिसका उपयोग पिस्टल निर्माण में किया जाता है, लोहे की बैरल 350 नग तथा लोहे के शटर नली 297 नग इस प्रकार कुल 647 नग पिस्टल बनाने का सामान सहित उक्त बोलेरो वाहन जप्त कर कच्चा पुलिस लिया गया।

सबके आपराधिक रिकार्ड

विक्रम पिता मानसिंह भाटिया उम्र 27 साल जाति सिक्लीगर निवासी वार्ड क्र 3 गाजनपुर नेमावर खातेगांव जिला देवास, थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 54/17 धारा 294, 323, 326, 452, 506, 34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का केस है। थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 181/18 धारा 294,323,506,34 भादवि, थाना नेमावर मे अपराध क्रमांक 202/24 धारा 294, 323,336,34,506 भादवि व थाना पदमनगर में अपराध क्रमांक

2 दिन का पुलिस रिमांड

सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना पदम नगर में अपराध क्रमांक 209/25 धारा 25 (1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य अभियुक्त मुहूसिंह की तलाश हेतु एवं पूछताछ हेतु अभियुक्तगणो का न्यायालय खंडवा के यहाँ प्रस्तुत कर 02 दिवस का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
209/25 धारा 25 (1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट का प्रकरण है।
रवि पिता सालकराम मण्डरई उम 21 वर्ष निवासी बागदा थाना खातेगांव देवास पर थाना नेमावर में अपराध क्रमांक 89/25 धारा 296,115 (2), 351 (3), 3 (5) बीएनएस धाना पदमनगर में अपराध क्रमांक 209/25 धारा 25 (1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं।
खातेगांव से सरगना को पकड़ा
आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त पिस्टल बनाने का सामान नारायण तिवारी निवासी खातेगाँव जिला देवास से तैयार कारकर मुहूसिंह निवासी ग्राम सिमुर थाना गोगावा जिला खरगोन को नई पिस्टलें तैयार करने हेतु देने के लिए जा रहे थे। उक्त सूचना के आधार पर पिस्टल बनाने वाले लेथ मशीन आपरेटर नारायण तिवारी को खातेगाँव जिला देवास से गिरफ्तार किया गया है।
जस मशरुका
03 देशी पिस्टल कीमती लगभग 75 हजार/-रुपए है। पिस्टल बनाने के समान लोहे की बैरल 350 ग तथा लोहे के शटर नली 297 नग जिसकी कीमत पता नहीं लग पा रही है। अन्य सामग्री 647 नग कीमती लगभग 01 लाख /- रुपए है। बोलेरो वाहन कीमती लगभग 10 लाख /-रुपए है। मोबाईल 03 नग कीमती लगभग 75 हजार /-रुपये है।